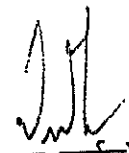


कार्यालय गोचरखपुर विकास प्राधिकरण, गोचरखपुर।
ई-पंजीकरण की सूचना

गोचरखपुर विकास प्राधिकरण, गोचरखपुर द्वारा संचालित कुश्मी एन्वलेव आवासीय योजना के अन्तर्गत निर्मित 2BHK, 3BHK व 3BHK+SERVANT ROOM श्रेणी के फ्लैटों का ई-लाटरी के माध्यम से आवंटन हेतु दिनांक-21.11.2025 से 10.01.2026 तक ऑनलाइन पंजीकरण खोला गया था, प्राप्त आवेदकों के मध्य ई-लाटरी दिनांक-19/01/2026 को सम्पन्न होगी। रिक्त फ्लैट्स के आवंटन हेतु दिनांक-20/01/2026 से 20/02/2026 तक ऑनलाइन पंजीकरण खोला जा रहा है। दिनांक-20/01/2026 से 20/02/2026 तक प्राप्त आवेदकों के मध्य सम्पन्न होने वाली ई-लाटरी की सूचना अलग से दी जायेगी। उपलब्ध सम्पत्तियों का विवरण, नियम व शर्तें प्राधिकरण की वेबसाइट www.gdagkp.in पर उपलब्ध है, जिस पर इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।


(पुष्पराज सिंह)
सचिव


(आनन्द वर्द्धन)
उपाध्यक्ष

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित "कृश्मी एन्क्लेव" आवासीय योजना

के अन्तर्गत 2 B.H.K., 3 B.H.K. एवं 3 B.H.K. + SERVANT ROOM प्लॉटों का ई-लाटरी के माध्यम से प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर।

पंजीकरण प्रारम्भ दिनांक-20.06-2026

पंजीकरण समाप्ति दिनांक-20.06-2026

आवासीय प्लॉटों का विवरण:-

क्र० सं०	सम्पत्ति की श्रेणी	सम्पत्ति की संख्या	कारपेट क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	कवर्ड क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	अनुमानित मूल्य	पंजीकरण धनराशि (रुपये में)			आवंटन शुल्क 25 प्रतिशत	आवंटन शुल्क 30 प्रतिशत	अवशेष धनराशि (रुपये में)	अवशेष धनराशि 2.5 वर्ष की 10 समान त्रैमासिक किश्तों में। (ब्याज सहित)
						सामान्य 10 प्रतिशत	आरक्षित 5 प्रतिशत	सामान्य				
01	2 B.H.K.	63	62.54	80.00	54,10,000.00	5,41,000.00	2,70,500.00	13,52,500.00	16,23,000.00	35,16,500.00	3,51,650.00	
02	3 B.H.K.	129	99.48	128.25	88,65,000.00	8,86,500.00	4,43,250.00	22,16,250.00	26,59,500.00	57,62,250.00	5,76,225.00	
03	3 B.H.K. + SERVANT ROOM	61	118.87	145.22	1,00,40,000.00	10,04,000.00	5,02,000.00	25,10,000.00	30,12,000.00	65,26,000.00	6,52,600.00	

पंजीकरण हेतु क्या करें:-

- 1- पंजीकरण विवरण पुस्तिका रू०-500.00 (जी०एस०टी० सहित) किसी भी कार्य दिवस में निधारित अवधि के अन्दर ऑनलाइन प्राधिकरण निधि में जमा करके प्राधिकरण की वेबसाइट www.gudgup.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
- 2- निधारित पंजीकरण धनराशि ऑनलाइन प्राधिकरण निधि में जमा करना होगा।
- 3- विशेष जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में सहायक सम्पत्ति अधिकारी/सहायक जन सम्पर्क अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

सम्पर्क करें:- फोन नं० 0551-2230132,

टोल फ्री नं०-18001202246

सचिव

उपाध्यक्ष